42/2017 सरकार vs भूणाराम वगैरा

21.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत डण्डाली में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। प्रार्थी पक्ष की ओर से निवेंदन किया गया कि विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व में तामिल हो चूके है,जो बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पाया कि विप्रार्थीगण की तामिली होने के उपंरात एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जानें के बावजूद भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि आवेदन में दर्शित रकबानुसार का आमजन आने जाने हेतु रासते हेतु उपयोग करते है और मौके पर भी सड़ चल रही है,लेकिन खसरा संख्या 92 व 80 की किस्म गै.मु.ओरण होने के कारण प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है,उक्त खसरों की भूमि को छोड़ते हुए शेष रास्ते के रूप में उपयोग आ रही भूमि का राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। **हमने** प्रार्थी पक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.दोयम निजी खातेदारी एवं गै.मु.ओरण ग्राम पंचायत डण्डाली के खाते में दर्ज है। प्रार्थी पक्ष द्वारा बहस में कथनोनुसार गै.मु.ओरण की भूमि ग्राम पंचायत के खाते में यथावत रहेगी। क्योकि उक्त भूमि की किस्म गै. मु.ओरण है,जो प्रतिबन्धित श्रेणी में है,जिसकि किस्म में फेरबदल नहीं किया जाना उचित है,लेकिन आमजन को आने जाने हेतु रास्तें में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं की जावेंगी। एवं शेष भूमि जिसकी मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग मे लिया जा रहा है,और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एवं विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रस्तावित रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। यदि आपर्ति होती तो न्यायालय मे हाजिर होकर चाराजोही करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है। कि प्रस्तावित रकबेनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है। **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प स्थल–ग्रा.प.डंडाली)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

क्रमांकः/राजस्व/2018/ 1194 दिनांक 21.5.18
प्रकरण सं.:–42/2017

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 में प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम** गिरली कीतपाल पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन आवेदन में प्रस्तावित रकबानुसार मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जाने की तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा की गयी है।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम गिरली कीतपाल पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	लूणाराम वल्द सवाराम तुलछा थाना पि. गोदा कौम मेगवाल सा. नौसर खातेदार रहन–तुलछा थाना का हि. एसबीबीजे शाखा भूंका भगतसिंह	63	97-09	बा.दोयम	3-02	गै.मु.रास्ता
2	पीरा आदम ओखा खां मुबारक खां बरगद खां पि. आलू कौम मुस. कुंभार नोसर हाल देह खातेदार	101	42-06	बा.दोयम	1-10	गै.मु.रास्ता
3	बबरखां वल्द सफीमोहम्मद मुरबत पत्नि सफीमोहम्मद चनेश्वर हकीम पि. तमाची मु. उमत बेवा तमाची कौम मुसलमान सा. माडपुरा खातेदार	98	74-00	बा.दोयम	2-00	गै.मु.रास्ता
4	मगा कुम्भा मूला ईशरा पि. भीखा नवलाराम चन्दाराम पि. सुरताराम मेहराराम मानाराम आसूराम पि. सुरताराम कौम जाट सा. सणफा खातेदार।	166/94	65-15	बा.दोयम	0-16	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

	रहन–नवलाराम का हि. एसबीबीजे शाखा भूंका भगतसिंह।					
5	हाजी वल्द एहमद कौम मुस. कुम्हार सा.देह खातेदार	89	64-16	बा.दोयम	01-08	गै.मु.रास्ता
6	मूला चूना पि.राणा पूरों पत्नि राणा कौम रबारी सा.देह खातेदार रहन मूला चूना का हि. एसबीबीजे शाखा सिणधरी।	172/85	16-03	बा.सोयम	0-06	गै.मु.रास्ता
7	जोगा काना सरदारा पि. हरखा 1/2 हि. रूपाराम, दमाराम, प्रभूराम पि.राणा मु. जोजू बेवा राणा 1/2 हि. कौम रबारी सा.देह खातेदार	85	47-02	बा.सोयम	0-18	गै.मु.रास्ता
8	मूला चूना पि.राणा पूरों पत्नि राणा कौम रबारी सा.देह खातेदार रहन मूला चूना का. हि.एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी।	173/85	31	बा.सोयम	0-10	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
दिनांक 29.5.18

क्रमांकः/राजस्व/2018/ 1195-96

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner